पत्र संख्या–26 / विविध–06–02 / 2026.................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–02 के अधीन MMGSY(AWSESH) योजना अंतर्गत पैकेज न0–MMGSY(AWSESH-GEN), GOPALGANJ-02-301 (Tender ID-143188) की निविदा में मे0 शैलकॉन कंस्ट्रक्शन, ग्राम–रसौटी, जिला–गोपालगंज, पिनकोड–841437 द्वारा निविदा में भाग लिया गया।

2. संवेदक द्वारा निविदा के साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान–01 के ज्ञापांक–524 दिनांक–16.05.2024 से निर्गत भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न किया गया, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–02 के पत्रांक–1258 दिनांक–17.09.2025 द्वारा कराया गया।

3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान–01 के पत्रांक–1732 दिनांक–22.09.2025 से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त भुगतान प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है और ना हीं अंकित हस्ताक्षर उनका है।

4. संवेदक द्वारा जाली / फर्जी भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर निविदा प्राप्त करने का प्रयास करने के आरोप के लिए अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक–13215 दिनांक–31.12.2025 द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। ग्रामीण कार्य विभाग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–123 दिनांक–08.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक–MSC/GPJ/113/2025-26 दिनांक–19.01.2026 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर विभागीय पत्रांक–521 दिनांक–28.01.2026 द्वारा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक–2518 दिनांक–24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा निविदा के साथ संलग्न किया गया अभिलेख Forged Document है। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि फर्जी / जाली अभिलेख / कागजात के आधार पर संवेदक द्वारा निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

फर्जी / जाली अभिलेख / कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया जाना, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11 (क) के उपनियम (vii) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः संवेदक मे0 शैलकॉन कंस्ट्रक्शन, ग्राम–रसौटी, जिला–गोपालगंज, पिनकोड–841437 (निबंधन सं0–WRD190625C1PF24, श्रेणी–प्रथम) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11 (क) के उपनियम (vii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं0–201 दिनांक–14.03.2016 के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

2

ज्ञापांक :– 26 / विविध–06–02 / 2026 पटना / दिनांक :..........................

प्रतिलिपिः– संवेदक मे0 शैलकॉन कंस्ट्रक्शन, ग्राम–रसौटी, जिला–गोपालगंज, पिनकोड–841437 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–02 / 2026 पटना, दिनांक :..........................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–02 / 2026 पटना, दिनांक :..........................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–02 / 2026 पटना, दिनांक :..........................

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग पटना के पत्रांक–13215 दिनांक–31.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–02 / 2026 1295 पटना, दिनांक : 9/3/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/3/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।